

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम—काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:—77 / 2023 विविध(धारा 14 सिक्वोरिटाइजेशन)

एयू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड पंजिकृत कार्यालय—19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर—302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

—प्रार्थी

बनाम

1. मान किरयाना स्टोर जरिये प्रो. कमलेश मान
पता—वार्ड नं. 02, पोस्ट नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
—मूल ऋणी
2. कमलेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट
पता—वार्ड नं. 02, पोस्ट नेठराना 6 एनटीआर, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
—सहऋणी
3. कृष्णलाल पुत्र श्री नेतराम मान जाति जाट
पता—वार्ड नं. 02, पोस्ट नेठराना 6 एनटीआर, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
—सहऋणी, बंधकग्रहिता



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश

दिनांक:—13.03.2024

प्रार्थी एयू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी मनोज कुमार शाखा हनुमानगढ़ की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 28.02.2020 को 'लॉन एग्रीमेन्ट' के तहत 5,15,000/-रुपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान सिक्वोरिटी के रूप में ग्राम पंचायत नेठराना पंचायत समिति भादरा द्वारा एक आवासीय भूमि का पट्टा सं. 4929 पैमाईशी 50 गुणा 60 फुट अर्थात 3000 वर्गफुट अर्थात 333 वर्गगज गांव नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ में स्थित है, जो कि कृष्ण लाल पुत्र श्री नेतराम मान जाति जाट पता—वार्ड नं. 02, पोस्ट नेठराना 6 एनटीआर, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के नाम से दिनांक 05.06.2017 को जारीशुदा है। अप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/आडमान किया।

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 08.02.2023 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर ऋणी के खाता को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी के खाता में बकाया राशि 5,36,070/-रुपये (अखरे पांच लाख छत्तीस हजार सत्तर रूपये) बकाया रकम, ब्याज, शास्तियां व अन्य खर्चे दिनांक 10.02.2023 तक शेष व देय निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।



प्रार्थी बैंक ने दिनांक 13.02.2023 को उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 17.02.2023 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। प्रार्थी बैंक ने उक्त नोटिस की सूचना का समाचार पत्र 'इण्डियन एक्सप्रेस, दैनिक नवज्योति' में दिनांक 30.03.2023 को प्रकाशन करवाया गया। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी सम्पत्ति ग्राम पंचायत नेठराना पंचायत समिति भादरा द्वारा एक आवासीय भूमि का पट्टा सं. 4929 पैमाईशी 50 गुणा 60 फुट अर्थात 3000 वर्गफुट अर्थात 333 वर्गगज गांव नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ में स्थित है, जो कि कृष्ण लाल पुत्र श्री नेतराम मान जाति जाट पता-वार्ड नं. 02, पोस्ट नेठराना 6 एनटीआर, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के नाम से दिनांक 05.06.2017 को जारीशुदा है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़